

25/1/18

पत्रावली के उद्योग की लक्षणात्मक विशेषताओं  
के अन्तर्गत आने के कारण न्यायाधीशों के  
अनुमति दिनांक 8/1/18 को पेश किया

31/1/18

पत्रावली के उद्योग की लक्षणात्मक विशेषताओं  
के अन्तर्गत आने के कारण न्यायाधीशों के  
अनुमति दिनांक 15/2/18 को पेश किया

19/02/18

पत्रावली के उद्योग की लक्षणात्मक विशेषताओं  
के अन्तर्गत आने के कारण न्यायाधीशों के  
अनुमति दिनांक 17/4/18 को पेश किया

27/4/18

पत्रावली के उद्योग की लक्षणात्मक विशेषताओं  
के अन्तर्गत आने के कारण न्यायाधीशों के  
अनुमति दिनांक 16/5/18 को पेश किया

26/05/18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। मजमेआम में  
जानकारी करने पर बात हुआ कि प्रतिवादी सुकका  
की मूल्य ही चुकी है। वादिया द्वारा प्रतिवादी सुकका  
की भूमि में से हिस्सा घोषित करवाने हेतु ही


30/5/18  
25/4/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

~~पत्रावली पेश हुई। कमील मध्यकार उक्त लिखत को  
पत्रावली पेश करने भी गैर पेश किया। 9/8/2017 को  
के अन्तर्गत लम्ब-चर्चा करते 9/8/2017 को को अन्तर्गत पेश  
करने के लिए लम्ब चर्चा~~

वाद प्रस्तुत किया है। चूंकि वादिया के पिता  
सुक्कन की मृत्यु दिनांक 24.08.2017 (मृत्यु प्रमाण  
पत्र दिनांक 12.09.2017) को से चुकी है जिसके  
विधिक वारिसान का हिस्सा विरासत नामान्तरकरण  
द्वारा तय होगा। इस कारण वाद के माध्यम से  
कोई अनुतोष संभव नहीं है। अतः वादी का  
वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से  
कम हो।

  
26.05.18  
SDO Kaman  
Camp - Pai